भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1058

28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्तन कैंसर के लिए सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित एआई जांच तकनीकों को एनपी-एनसीडी में शामिल करना

1058. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने स्तन कैंसर के लिए सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जांच तकनीकों को 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी-एनसीडी) के तहत शामिल करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(ख) पारंपरिक रोग-विषयक स्तन जांच से एआई-आधारित नैदानिक नयाचारों में बदलाव के लिए एनपी-एनसीडी प्रचालनात्मक ढांचे को उन्नत करने की मौजूदा समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने स्तन कैंसर के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जांच तकनीकों को 'गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी-एनसीडी) के तहत शामिल करने के लिए प्रायोगिक जांच शुरू की है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): नई तकनीकों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित चिकित्सा उपकरणों के लिए, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (एचटीए), जहाँ भी लागू हो, उनकी नैदानिक प्रभावकारिता, सुरक्षा, लागत- प्रभावकारिता और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत उनके अनुकूलन संबंधी साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों में सहायता करने के लिए समग्र महत्व का मूल्यांकन प्रदान करता है।

गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत, 30 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को स्तन जांच संबंधी जागरूकता, जिसमें स्तन की स्व-जांच

(बीएसई) शामिल है, के बारे में जानकारी और परामर्श दिया जाता है, ताकि स्तन से संबंधित लक्षणों जैसे गांठ, निप्पल से स्राव या स्तन में बदलाव की शीघ्र पहचान हो सके और निकटतम स्वास्थ्य सुविधाकेंद्र पर समय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) और अन्य जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा नैदानिक स्तन संबंधी जांच (सीबीई) के माध्यम से स्तन कैंसर के लिए जनसंख्या-आधारित स्क्रीनिंग की जाती है। संदेहयुक्त असामान्यताओं वाली महिलाओं को कार्यक्रम के संचालनात्मक ढांचे के अनुसार उचित नैदानिक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए उच्च स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के लिए रेफर किया जाता है।

डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रयोगशाला जांच और कीमोथेरेपी के लिए जहां भी संभव हो, संग्रह-पूर्व रक्त के नमूने एकत्र करने, नियमित जांच के लिए निकटतम स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के साथ संबंध स्थापित करने, ट्राइएज को सुव्यवस्थित करने, ऑन्कोलॉजी बहिरंग रोगी और कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन के लिए समर्थित स्लॉट बनाए रखने, और उपचार में लगने वाले समय को कम करने के लिए सक्षम फार्मेसी प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, समय पर रेफरल, टेलीकंसल्टेशन, काउंटर-रेफरल तंत्र और उपचार की निरंतरता को सुविधाजनक बनाने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) को मेंटर संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समन्वय, संचार और कार्यक्रम कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए डीसीसीसी में एक नामित संपर्क अधिकारी/नोडल चिकित्सा अधिकारी और मेंटर संस्थान में एक डीसीसीसी समन्वयक भी तैनात किया जाता है।
